न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 512/2025 | दायर दिनांक 21.10.2025 | निर्णय दिनांक 07/4/2026

उनवान

1. लादी देवी पत्नी श्यामलाल जाति खटीक निवासी पंचमुखी रोड दादाबाडी भीलवाडा

— प्रार्थी

बनाम

1. चांदू पुत्र सवाईराम जाति गुजर निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. भैरूलाल वैष्णव पुत्र मदनलाल जाति वैष्णव निवासी मकान नम्बर 13 डी 18 नया बापू नगर भीलवाडा
3. सोसर पत्नी दूदा गुजर निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
4. हरफूल दत्तक पुत्र मंगला जाति जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा
5. गणेश पुत्र नन्दा जाट निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
6. गीता पुत्री रामचन्द जाति जाट निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
7. फेफी पत्नी स्व0 हीरा जाति जाट निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
8. मांगी पत्नी स्व0 रामचन्द्र जाति जाट निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
9. शंकर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
10. सायर पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

— विपक्षीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थिया श्री मुकेश धोबी उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं**

–:: निर्णय ::–

07/04/2026

प्रार्थिया की ओर से अधिवक्ता मुकेश धोबी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भडाणी खेड़ा पटवार हल्का रीछड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 949 रकबा 0.6323 हैक्टेयर, आराजी संख्या 950 रकबा 0.6070 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थिया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थिया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहते हैं। प्रार्थिया उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।

इस पर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थिया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थिया अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहती हैं। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया, संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

07/4/26
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व प्रार्थिया अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रार्थिया उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थिया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम भडाणी खेड़ा पटवार हल्का रीछड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 949 रकबा 0.6323 हैक्टेयर, आराजी संख्या 950 रकबा 0. 6070 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1500–00 अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थिया से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

07/4/2026

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा